राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/18/21225   जयपुर,दिनांकः 29/11/18

आदेश

सूचना के अधिकार नियम के अन्तर्गत नगरीय निकायो के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में होती है। यह जानकारी में आया है कि अनेक बार नगरीय निकायो के एडवोकेट को अपील से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट/दस्तावेज निकायो द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाते है। इस कारण नगरीय निकायो के अधिवक्ताओं को सूचना आयोग में निकाय का पक्ष सही तरीके से प्रस्तुत करने में कठिनाई रहती है।

अतः समस्त नगरीय निकायो को आदेश दिये जाते है कि निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावें:-

1. सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकाय में प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्रो का निर्धारित समय में नियमानुसार निस्तारण नगरीय निकायो द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
2. प्रथम अपील जो निकाय के महापौर/सभापति/अध्यक्ष के समक्ष होती है, में निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी अपना जवाब एवं पक्ष समय पर एवं पूर्ण तथ्यो के साथ प्रस्तुत करें।
3. किसी प्रकरण में राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील होने पर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा अपील में प्रभारी अधिकारी तुरन्त नियुक्त किया जावें।
4. प्रभारी अधिकारी संबंधित अनुभाग से तथ्यात्मक विवरण प्राप्त करके अधिवक्ता को प्रकरण का ब्रीफ उपलब्ध करायेगें, जिसमें प्रकरण की पैरा क्रमानुसार तथ्यात्मक स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण की विषय वस्तु का दिनांक वार विवरण एवं घटनाक्रम रिकॉर्ड अनुसार ज्ञात कर सम्मिलित करेंगे।
5. प्रभारी अधिकारी द्वितीय अपील के संबंध में विभागीय तथ्यात्मक परिस्थितियों के कारण/ आधार एवं तथ्यो का अभिलेख के साथ एकत्रिकरण करेंगे, जिनके आधार पर कार्यवाही की जानी है।
6. तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं सामग्री के साथ प्रभारी अधिकारी अधिवक्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क करके लिखित जवाब तैयार करवायेगें।
7. सूचना आयोग में पैरवी कर रहे अधिवक्ता के पास प्रकरण पत्रावली परिपूर्ण एवं नवीनतम प्रगति व सूचनाओं सहित उपलब्ध रहे, यह प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
8. प्रभारी अधिकारी प्रकरण में सूचना आयोग में निर्धारित की गई सुनवाई की तारीख प्रकरण की प्रगति एवं उसमें सम्पादित होने वाली आगामी कार्यवाही से स्वयं एवं निकाय को सदैव अवगत रखेगे। तारीख पेशी को आयोग में उपस्थित होकर अधिवक्ता की पैरवी करने में मदद करेंगे तथा प्रत्येक

तारीख पेशी का कार्यवाही विवरण एवं आगामी तारीख पेशी का पत्रावलियों पर अंकन कर निकाय को अवगत करायेगें।

9. प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना आयोग में कोई आदेश/निर्देश/निर्णय पारित होने पर निकाय को उसके तथ्यो सहित उसी दिन जानकारी देनी होगी और आयोग के उक्त निर्देश/ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन अथवा आगामी दिवस को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
10. प्रकरण में प्रभारी अधिकारी स्वयं की रिपोर्ट और अधिवक्ता की राय के साथ आयोग के निर्देश/आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति आयोग से प्राप्त कर तत्काल नगरीय निकाय को प्रस्तुत करेंगे। किसी प्रकरण में सूचना आयोग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित कोई आदेश/ निर्णय/निर्देश पारित किया जाता है, तो प्रभारी अधिकारी तुरन्त प्रमाणित प्रति के साथ विभाग में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगें।
11. प्रभारी अधिकारी का स्थानान्तरण/सेवा निवृत्त होने की स्थिति में अथवा प्रकरण अन्य प्रभारी अधिकारी को स्थानान्तरित होने पर सभी प्रकरणो की सूची पत्रावलियां, अभिलेख आगामी तारीख पेशी और उस पर आयोग में सम्पादित होने वाली कार्यवाही का विवरण नवीन प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जावेगा।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/18/21226-21611 दिनांकः 29/11/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0
02. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0।
03. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने बाबत्।
04. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

C85

pro